

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक :-2/नि०-04/16 95572 /स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०) (मूल कोटि) के पद पर विज्ञापन संख्या-07/2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सक (मूल कोटि) (ई०एन०टी०) के पद पर रू०-9300-34800/- (पी०बी०-2) एवं ग्रेड पे०-5400 के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख संस्थान में पदस्थापित किया जाता है :-  
ई०एन०टी० :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	कोटि	पदस्थापन हेतु प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
1	752	डा० शम्भु शरण	25.04.1968	पटना	सामान्य	सहायक प्राध्यापक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा।
2	701	डा० जय राम प्रसाद	20.01.1969	अरवल	एस०सी०	सीनियर रेजिडेन्ट, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
3	726	डा० मो० सरफराज	12.12.1978	पटना	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।
4	717	डा० विवेक कुमार	27.05.1983	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, छपरा, सारण।
5	745	डा० फैज अहमद कादरी	05.08.1977	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
6	705	डा० इन्द्रजीत कुमार	27.01.1974	नालन्दा	पिछड़ा वर्ग	सीनियर रेजिडेन्ट, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
7	709	डा० मो० तौसीफुल हक	05.11.1980	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, वैशाली।
8	702	डा० अशोक कुमार	01.03.1979	गोपालगंज	बी०सी०-2	सहायक प्राध्यापक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
9	786	डा० अविनाश	11.02.1982	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, बक्सर।
10	771	डा० रजनीश रंजन	23.06.1976	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा।
11	767	डा० संजीव कुमार	02.12.1975	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, किशनगंज।
12	753	डा० प्रीति शर्मा	30.04.1980	पटना	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
13	706	डा० अमर नाथ प्रसाद	02.01.1977	मधुबनी	ओ०बी०सी०	सीनियर रेजिडेन्ट, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
14	731	डा० राज कुमार प्रसाद	21.01.1978	पटना	बी०सी०	सहायक प्राध्यापक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।



15	748	डा० चन्दन कुमार	25.07.1979	पटना	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
16	749	डा० दीपक कुमार	12.01.1985	हजारीबाग (झारखण्ड)	सामान्य	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी।
17	760	डा० अभिमन्यु अनंत	24.12.1980	सीवान	सामान्य	सदर अस्पताल, गोपालगंज।
18	734	डा० राजीव अम्बष्टा	03.05.1977	बोकारो (झारखण्ड)	सामान्य	सदर अस्पताल, औरंगाबाद।
19	768	डा० संजय कुमार	25.09.1971	सुपौल	अनु० जाति	सहायक प्राध्यापक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
20	719	डा० रत्नेश कुमार	08.10.1983	सीवान	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
21	761	डा० सैयद मेराज इमाम	17.12.1982	बेगूसराय	सामान्य	सदर अस्पताल, समस्तीपुर।
22	724	डा० प्रमोद कुमार	06.06.1977	गया	ई०बी०सी०	सीनियर रेजिडेन्ट, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
23	722	डा० प्रदीप कुमार	02.02.1982	सीवान	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया।
24	741	डा० अंशु कुमार	01.01.1978	गया	ओ०बी०सी०	सीनियर रेजिडेन्ट, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।
25	707	डा० उमेश कुमार	03.01.1977	पटना	अनु० जाति	सीनियर रेजिडेन्ट, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
26	773	डा० मो० ओजैर	10.12.1977	दरभंगा	ई०बी०सी०	सीनियर रेजिडेन्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
27	756	डा० प्रेम प्रकाश शंकर	01.03.1979	नवादा	अनुसूचित जाति	सदर अस्पताल, जमुई।
28	750	डा० अमित कुमार	06.08.1982	सीतामढ़ी	सामान्य	सदर अस्पताल, सीवान।
29	743	डा० रिशांक किशोर	14.08.1984	पूर्वी चम्पारण	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, बगहा, पश्चिम चम्पारण।
30	738	डा० गोपाल कुमार झा	26.02.1981	अररिया	सामान्य	सदर अस्पताल, सुपौल।
31	739	डा० धर्मेन्द्र कुमार	24.11.1982	शेखपुरा	एस०सी०	सीनियर रेजिडेन्ट, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
32	774	डा० राकेश कुमार	11.11.1979	नवादा	पि०व०	सदर अस्पताल, शेखपुरा।
33	728	डा० मनोज कुमार	05.01.1979	सहरसा	सामान्य	सीनियर रेजिडेन्ट, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा।
34	737	डा० महेश कुमार	03.12.1975	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, कटिहार।
35	742	डा० कृपा नंद सिंह	15.02.1980	भागलपुर	सामान्य	सदर अस्पताल, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।
36	708	जय प्रकाश महतो	14.01.1977	मधुबनी	एस०सी०	सदर अस्पताल, शिवहर।


9552  
29/6/16

2. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
3. दो वर्षों के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायगा।
4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-7834(2) दिनांक 22.11.1995 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा पैतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान में अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करेंगे।
7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण-पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. सभी नियुक्त चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
9. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से यदि कोई बिहार राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तो उन्हें उसी संस्थान में नियुक्त करते हुए टेन्योर अवधि तक के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देंगे।
10. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से कतिपय चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर तीन वर्षों के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देंगे।
11. सभी नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।
12. यदि कोई चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देंगे और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेंगे। अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देंगे।
13. उपरोक्त सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली-1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पत्ति का व्यौरा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया जा सकता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
14. जिन चिकित्सकों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष आवासीय प्रमाण-पत्र एवं कोई अन्य प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया हों, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।



9552  
29/6/16

15. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तहत वे प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।
16. नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सकों के सभी प्रमाण-पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।
17. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
18. सभी नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।


  
(शेखर-चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

- ज्ञापांक :-2/नि०-04/16 955(2) पटना, दिनांक :- 29/6/16
- प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट-[www.health.bih.nic.in](http://www.health.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

- प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।